L.No – 2848-57

To,

Mr. Pradeep Ramjam Doley Barman.
House No-76, Defence Enclave,
Preet Vihar. opposite Pillar No.-87,
Vikas Marg. New Delhi-110092

(Received) 17/11/21

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरुप पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून– 248001
फोन नं०: 0135 2532 850 फैक्स नं०: 2532 811 E-mail: *uttarakhandawb@gmail.com*
website : *http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board*

कार्यालय पत्रांक :2848–52Ukd. AWB (85CS)/ 2021-22 दिनांक : 18 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त (पशुपालन),
मत्स्य पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

विषय : सूकर प्रक्षेत्रों में **Farrowing crates** के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग बन्द किये जाने के क्रम में **PETA** के प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित अनुरोध के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त क्रम में PETA के प्रतिनिधि श्री प्रदीप रंजन डोले बर्मन द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को प्रेषित ज्ञापन का संज्ञान लेने का कष्ट करेंगे, जिसमें Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के Section-11(1)(e) के तहत सूकर प्रक्षेत्रों में Farrowing crates के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगाये जाने की मांग की गई है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि, तद्क्रम में ICAR द्वारा भी ऐसी ही अनुशंसा की गई है। कृपया Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के अध्याय–III के तहत Section-11 (1) (e) में वर्णित कानूनी प्राविधान का संज्ञान लेने का कष्ट करेंगे :–

CHAPTER III
CRUELTY TO ANIMALS GENERALLY

11. (1) if any person :-

section-11(1)(e) : keeps or confines any animal in any cage or other receptacle which does not measure sufficiently in height, length and breadth to permit the animal a reasonable opportunity for movement; or

Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के **section-11(1)(e)** के तहत, प्राविधानित उक्त कानूनी प्राविधान में, न तो विभिन्न प्रजातियों के पशुओं की आवासीय व्यवस्था हेतु अनिवार्य रुप से न्यूनतम आवश्यक स्थान (Mandatorily required minimum space: Length x Width x Height) की परिमाप (Measurements) स्पष्ट रुप से वर्णित है और न ही इस क्रम में अधिनियम की धारा–38 के तहत, Animal Housing Rules for various Species का ही प्राख्यापन किया गया है।

आप विदित हैं कि, Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के **section-11(1)(e)** के तहत, अण्डा उत्पादक कुक्कुट पक्षियों हेतु न्यूनतम आवासीय व्यवस्था हेतु कानूनन अनिवार्य रुप से न्यूनतम आवश्यक स्थान (Mandatorily required minimum space: Length x Width x Height) की परिमाप (Measurements) सम्बन्धित प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण, Battery Cage System of Poultry Housing पर रोक लगाये सम्बन्धित अनेकों उच्च न्यायालयों अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरण, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशानुरुप युग्मित कर मा० उच्च न्यायालय, नई दिल्ली को सन्दर्भित किये गये हैं। ये सभी प्रकरण वर्तमान समय में मा० उच्च न्यायालय, नई दिल्ली अन्तर्गत विचाराधीन हैं। विदित हो कि, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा इस क्रम में निर्गत निर्णय के विरुद्ध Poultry Associations द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली अन्तर्गत विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) योजित की गई है जिसपर मा० न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश निर्गत करते हुए मा० उच्च न्यायालय, नई दिल्ली स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों पर निर्णय आने तक प्रकरण को लम्बित रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान समय में ये सभी प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली अन्तर्गत विचाराधीन है।

मा० उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अन्तरिम आदेशों के आलोक में, पशुपालन मंत्रालय, भारत सरकार अन्तर्गत, मा० विधिक आयोग, भारत सरकार की अनुशंसाओं के अनुरुप, Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के **section-11(1)(e) and section 38** के तहत, Poultry Housing Rules का प्राख्यापन प्रक्रियाधीन है किन्तु अन्य पशुओं यथा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोडे, खच्चर, गधे एवं सूकर हेतु Animal Housing Rules for various Species उपलब्ध नहीं हैं। पूरे देश में एक समान वैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के क्रम में अनुरोध है कि, कृपया में PETA द्वारा सूकर

प्रक्षेत्रों में Farrowing crates के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगाये जाने की मांग तथा इस क्रम में ICAR अनुशंसाओं के आलोक में Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के Section-11(1)(e) के तहत, सूकर वंशीय पशुओं हेतु Swine Housing Rules ही नहीं अपितु अन्य पशुओं की आवासीय व्यवस्था हेतु नियमावली का प्राख्यापन किये जाने के क्रम में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

भवदीय

(डा० प्रेम कुमार)

सचिव उ0प0का बोर्ड
निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सानुरोध प्रेषित :–

1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्रांक 7963/मु०स०/PS दिनांक 27 अगस्त, 2021 के क्रम में।
2. सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्रांक 40मु०स०/XV-1/21-7(03)2018 दिनांक 27 सितम्बर, 2021 के क्रम में।
3. निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड को उनके कार्यालय पत्रांक 2616 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 के क्रम में।
4. सम्बन्धित आवेदनकर्ता PETA के प्रतिनिधि श्री प्रदीप रंजन डोले बर्मन को इस आशय के साथ कि, आप विदित हैं कि, Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के **section 38** के तहत, नियमावली का प्राख्यापन किये जाने सम्बन्धित विषय, भारत सरकार के दायित्वाधीन अधिकार का विषय है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों/प्रस्तावों हेतु पशुपालन मंत्रालय, भारत सरकार स्तर पर सम्पर्क करने का कष्ट करेंगे।

(डा० प्रेम कुमार)

सचिव उ0प0का बोर्ड
निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून